GCMS: [illegible]

Form No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...कोटा...

...[illegible]... बनाम ...[illegible]...

किस्म मुकदमा ...136 L.R. Act... नं. ...15... सन् ...2025...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/3/25 को पेश हो।	
17/3/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गावडी में नामान्तरण संख्या 1124 विभाजन द्वारा खाते में दर्ज खसरा संख्या 741 रकबा 0.86 है0 भूमि का नवीन खसरा नंबर विभाजन द्वारा 979/741 रकबा 0.63 है0 किया गया था। उक्त खसरे की तरमीम खसरा संख्या 740 के लगवा पश्चिमि दिशा में संलग्न नजर नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नंबर की तरमीम दक्षिण दिशा में दर्ज हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि जमाबन्दी में खसरा संख्या 741 रकबा 0.86 है0 भूमि का नवीन खसरा नंबर विभाजन द्वारा 979/741 रकबा 0.63 है0 किया गया था। उक्त खसरे की तरमीम खसरा संख्या 740 के लगवा पश्चिमि दिशा में संलग्न नजर नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नंबर की तरमीम दक्षिण दिशा में दर्ज हो गयी है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गांवडी के खसरा नं0 741 की तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 17/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	